

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, notice under Rule 267 received from Shri Binoy Viswam does not merit any admittance. Hon. Members, it is not appropriate that when a notice has been declined, the same notice is repeated the next day. ...*(Interruptions)*...

SHRI BINOY VISWAM (Kerala): No, Sir, ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Matters raised with permission. Please. ...*(Interruptions)*... Prof. Ram Gopal Yadav - 'Request to include Aheria community in the Scheduled Caste list of Uttar Pradesh.'

MATTERS RAISED WITH PERMISSION

Demand to include Aheria Community in the Scheduled Caste List of Uttar Pradesh

प्रो. राम गोपाल यादव (उत्तर प्रदेश) : श्रीमन्, उत्तर प्रदेश में अहेरिया जाति दलितों में भी दलित के समान है। 1949 से पहले तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के उस वक्त के ज्वाइंट सेक्रेटरी, भंडारकर साहब ने राज्य सरकारों को एक चिट्ठी लिखी थी कि 1931 और 1941 के सेंसस में जो जातियाँ अनुसूचित जाति में हैं, उनकी सूची भेजी जाए, उन्हीं को अनुसूचित जाति में रखा जाएगा। श्रीमन्, 1931 के सेंसस में क्रमांक 26 पर अहेरिया, क्रमांक 27 पर बहेलिया और क्रमांक 28 पर पासी अंकित थे। इन्हें एक ब्लॉक में रखा गया था। 1941 में भी क्रमांक 59 पर अहेरिया, क्रमांक 60 पर बहेलिया व 5 अन्य जातियाँ एक ही गुप में रखी गईं। अज्ञात कारणों से बाद में इनमें से अहेरिया को अलग कर दिया गया, शेष जातियाँ शैड्यूल्ड कास्ट्स सूची में अब भी हैं। इस जाति के लोगों ने निरंतर प्रयास किए, लेकिन न इनके पास संसाधन हैं, न इनकी बहुत बड़ी संख्या है, इसलिए किसी ने इनको सुना नहीं। अंत में 2016 में उत्तर प्रदेश सरकार के समाज कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव ने यहाँ दिल्ली के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को एक पत्र लिखा। उन्होंने लिखा कि अहेरिया जाति को उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जाति की सूची में सम्मिलित किए जाने के संबंध में राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, उत्तर प्रदेश से अहेरिया जाति का सर्वेक्षण एवं नृजातीय अध्ययन कराया गया है। संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई अध्ययन आख्या में यह उल्लेख किया गया है कि अहेरिया जाति की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक एवं धार्मिक स्थिति को देखते हुए इस जाति को अनुसूचित जाति की सूची में सम्मिलित किया जाना उचित है। अहेरिया जाति अनुसूचित जाति की सूची में सम्मिलित किए जाने की सभी पात्रताएँ, अर्हताएँ और योग्यताएँ रखती है और इसको उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति घोषित किए जाने के लिए प्रदेश की अनुसूचित जाति की सूची में सम्मिलित किए जाने की संस्तुति की जा रही है। अतः अनुरोध है कि उत्तर प्रदेश में निवास करने वाली अहेरिया

जाति को उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जाति की सूची में सम्मिलित किए जाने हेतु कृपया आवश्यक कार्रवाई करने का कष्ट करें।

श्रीमन्, सारे शोध के बाद, सारे पैरामीटर्स को पूरा करने के बाद भी ...(समय की घंटी)... इस पत्र के जवाब में यह कहा गया कि फॉर्मलिटीज़ पूरी नहीं होती हैं। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने बिना किसी तरह का शोध कराए हुए यहाँ से एक चिट्ठी लिख दी। सर, स्थिति यह है ...(समय की घंटी)... मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी से अनुरोध करूँगा कि वे इस पर विचार करें।

DR. FAUZIA KHAN (Maharashtra): Sir, I associate myself with the matter raised by the hon. Member.

DR. SANTANU SEN (West Bengal): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI JAVED ALI KHAN (Uttar Pradesh): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI P. WILSON (Tamil Nadu): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI ABIR RANJAN BISWAS (West Bengal): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

DR. JOHN BRITTAS (Kerala): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

DR. V. SIVADASAN (Kerala): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI M. MOHAMED ABDULLA (Tamil Nadu): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

DR. KANIMOZHI NVN SOMU (Tamil Nadu): Sir, I also associate myself with the Zero Hour mention made by the hon. Member.

Delay in disbursement of funds dues to MGNREGA scheme in West Bengal

SHRI SAMIRUL ISLAM (West Bengal): Respected Chairman, Sir, the MGNREGA is not just a scheme of the Union Government. It was an Act established in 2005. The